मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टेडिंग

मैं .... पुत्र .... निवासी .... पोस्ट .... जिला .... का हूँ एवं **उत्तम किसान एग्रो मल्टीस्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी लि०** नगर पंचायत सैद नगली, मौहल्ला महल, अमरोहा उ०प्र० पिन- 244242 के रिटेल उर्वरक बिक्री केन्द्र के रूप में उर्वरक व्यवसाय करने हेतु तैयार हूँ। यह उर्वरक बिक्री केन्द्र के ग्राम .... पोस्ट .... विकास खण्ड .... जनपद ....पर स्थापित किया जाना है।

मैं उपरोक्त उर्वरक बिक्री केन्द्र के उक्त निर्धारित स्थान पर संचालित करने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के परिपालन हेतु एतद् द्वारा सहमति प्रदान करता हूँ।

1. मेरे द्वारा केन्द्र की बाहरी दीवार पर 8 X 3 फिट का बोर्ड आवश्यक रूप से लगाया जायेगा, जिस पर निम्नलिखित अंकित होगा।

उत्तम किसान एग्रो मल्टीस्टेट कोपरेटिव सोसाइटी लि० उर्वरक बिक्री केन्द्र ....

विकासखण्ड .... जनपद ....

जीएसटी .... उर्वरक प्रमाण पत्र सं० ....

2. यह कि मेरे द्वारा उर्वरक बिकी हेतु सक्षम पंजीयन अधिकारियों एंव जिला कृषि अधिकारी से नियमानुसार पंजीयन प्राप्त किया जायेगा तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम एंव इसके अन्तर्गत जारी फर्टिलाइजर कन्ट्रोल आर्डर, अन्य ऐक्ट एंव रूल के प्रावधानों का पालन किया जायेगा। उल्लंघन की दशा में समस्त वैधानिक दायित्व मेरा होगा।

3. मेरे द्वारा उर्वरकों की बिक्री हेतु पूर्व अंकित क्रम संख्या (Pre Numbered) वाले कैश मेमो का प्रयोग किया जायेगा। साथ ही उर्वरकों की बिक्री केवल किसानों को कृषि कार्य हेतु एवं शासन से समय-समय पर निर्धारित दरों पर की जायेगी। केन्द्र की दैनिक बिक्री रजिस्टर, स्टॉक बुक, कैश बुक, लेटर पैड, आदि भी उपरोक्त नाम वार्षिक का ही छपा हुआ व कृषि विभाग से सत्यापित कराकर समस्त विवरण अंकित करेंगे। जिसका छपाई व्यय मेरे द्वारा वहन किया जायेगा।

4. यह कि उर्वरकों की आपूर्ति जनपद स्तर पर उर्वरक गोदाम/ रैक पॉइंट से सीधे मेरे द्वारा प्राप्त की जायेगी तथा उन्हे अपने व्यय पर अपने उर्वरक बिक्री केंद्र तक ले जाऊँगा।

क्रमश--2--

5. मेरे द्वारा उर्वरकों का क्रय उत्तम किसान एग्रो मल्टीस्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी लि० से किया जायेगा। उत्तम किसान एग्रो मल्टीस्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी लि० अधिकारियों द्वारा उर्वरकों का भौतिक सत्यापन किसी भी समय किया जा सकता है। मेरे द्वारा उर्वरकों का क्रय उत्तम किसान एग्रो मल्टीस्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी लि० द्वारा निर्धारित मूल्यों पर किया जायेगा। मैं खरीद मूल्य का अग्रिम भुगतान उत्तम किसान एग्रो मल्टीस्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी लि० द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार सोसाइटी के बैंक खाता में करूंगा।

6. यह कि उवर्रक उठान व भुगतान निर्धारित समय के भीतर न करने पर उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि होने पर, न उठाई गयी मात्रा (Unlifted quantity) पर नये मूल्यों के आधार पर भुगतान देय होगा।

7. यह कि व्यापार कर से सम्बंधित समस्त वैधानिक दायित्व उत्तम किसान एग्रो मल्टीस्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी लि० का होगा एवं समस्त रिकार्ड एवं लेखा-जोखा तदानुसार रखा जाएगा। उत्तम किसान एग्रो मल्टीस्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी लि० को मासिक खरीदे गए उर्वरक का विवरण व बिक्री किये गए उर्वरक का विवरण, जमा की गयी धनराशि का विवरण प्रत्येक माह् की 29 तारीख को मासिक रिपोर्ट के रूप में प्रेषित करूँगा।

8. मेरे द्वारा रू0 50000/ (रूपये पचास हजार मात्र) नकद/आरटीजीएस फ्रेंचाइजी शुल्क के रूप में (जोकि नॉन-रिफंडैबल है) को उत्तम किसान एग्रो मल्टीस्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी लि० को भुगतान करूँगा। मेरे द्वारा मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग की किसी भी शर्त के उल्लंघन करने की दशा में उत्तम किसान एग्रो मल्टीस्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी लि० द्वारा मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग को निरस्त भी किया जा सकता है।

9. मेरे द्वारा कृषि विभाग द्वारा दिए गए समस्त दिशानिर्देशों का पालन किया जायेगा। बिक्री केंद्र पर पीओएस मशीन में प्रदर्शित स्टॉक, स्टॉक रजिस्टर में प्रदर्शित स्टॉक व गोदाम में उपलब्ध उर्वरक की मात्रा प्रतिदिन मिलान करके बराबर रखूँगा। उर्वरक बिक्री केंद्र पर बिना खरीद बिल से, विक्रय प्रमाण पत्र में बिना विक्रय सहमती के कोई भी उर्वरक ना तो दुकान में रखूँगा ना ही विक्रय करूँगा यदि मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे कृषि विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व मेरा होगा।

10. इस व्यवसाय से सम्बंधित लेन-देन केवल उत्तम किसान एग्रो मल्टीस्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी लि० के बैंक खाता के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी दशा में नकद एंव चेक के माध्यम से लेन-देन कदापि नहीं किया जायेगा।

क्रमश--3--

11-मैं किसी वित्तीय संस्था अथवा सहकारी समिति का बकायेदार नहीं हूँ और मेरे विरूद्ध कोई रिकवरी सर्टीफिकेट जारी नहीं है। मेरे विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद नही चल रहा है और मेरे विरूद्ध कोई पुलिस एफ०आई०आर० दर्ज नहीं है।

12. मेरे एंव उत्तम किसान एग्रो मल्टीस्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी लि० के मध्य विवाद उत्पन्न होने की दशा में न्यायिक क्षेत्र अमरोहा होगा।

13. यह मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग हस्ताक्षर करने की दिनांक से पांच वर्ष के लिए वैध होगा जिसे उत्तम किसान एग्रो मल्टीस्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी लि० एवं अधोहस्ताक्षरी की सहमति से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

14. मैंने उपरोक्त समस्त नियमों एंव शर्तों को भली-भाँति पढ़ कर समझ लिया है जिसे पालन करने के लिए मैं बाध्य हूँ। उत्तम किसान एग्रो मल्टीस्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी लि० के द्वारा उपरोक्त योजना में समय-समय पर होने वाले संशोधनों के परिपालन हेतु भी मैं बाध्य रहूँगा।

हस्ताक्षर उद्यमकर्ता

नामः ....

पताः ....

दिनांकः ....

गवाह हस्ताक्षर

1.

नाम व पता ....

....

2.

नाम व पता ....

....

दिनांक: